श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी-४ कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016

क्रमांकः एफ-3(71)/LBSNSU/Acad./2020-21/8154 दिनांकः-24.08.2026

कार्यालय सूचना

शैक्षणिक कैलेण्डर 2026-27 के अनुसार दिनांक 08.07.2026 से सत्रारम्भ हो चुका है। सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक नियम परिचारियका में प्रदत्त अनुशासन नियमों का पालन करना अनिवार्य है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. सभी छात्रों को आत्मानुशासन का पालन करते हुए कक्षाओं में नियमित-उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।

2. छात्रों को किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पर उन्हें यथोचित-दण्ड दिया जायेगा। छात्रों द्वारा अत्यन्त-गम्भीर दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता का दोषी पाये जाने पर तथा प्रमाणित होने पर अनुशासन समिति की अनुशंसा पर छात्र को विश्वविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकता है।

3. कोई छात्र यदि परिसर की सम्पत्ति का नुकसान करता है, तो वह अनुशासनात्मक कार्यवाही के योग्य माना जायेगा तथा नुकसान हुई सम्पत्ति की भरपाई के लिए वह जिम्मेदार होगा।

4. छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे परिसर की गरिमा को बनाए रखेंगे। उन्हें ऐसी किसी भी अवांछित-गतिविधियों में भाग लेने से सख्त मना किया जाता है, जो परिसर की गरिमा के विपरीत हों। विश्वविद्यालय परिसर में असंवैधानिक-नारेबाजी, धरना-प्रदर्शन, पठन-पाठन में बाधा उत्पन्न करना, पुतला जलाना, बाह्य-छात्रों को लेकर आना, छात्रावास भोजनालय, कैन्टीन आदि में अनुशासनहीनता करना पूर्ण रूप से वर्जित होगा। इन कृत्यों में लिप्त पाये जाने वाले छात्र को कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।

5. विश्वविद्यालय -परिसर में छात्र द्वारा स्वयं या उनके द्वारा हिंसा फैलाने, शान्ति भंग करने, अपनी बात असंवैधानिक-तरीके से मनवाने का प्रयास करने पर तथा बलपूर्वक अन्य छात्रों को धमकाने पर अनुशासन-समिति उस छात्र को दण्डित कर सकती है।

6. अनुशासन-समिति की अनुशंसा पर कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

7. परिसर में कालांश (कक्षा) के समय छात्रों द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग वर्जित है।

8. विश्वविद्यालय की शैक्षणिक-नियम-परिचायिका में निर्धारित सभी नियमों का परिपालन करना प्रत्येक छात्र-छात्रा का कर्तव्य होगा।

9. किसी भी छात्र को रैगिंग का दोषी पाये जाने पर 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के उच्चतर-शिक्षण-संस्थानों में रैगिंग-अपराध निषेध / रोकने के अधिनियम 2009 एवं 2016 के अनुसार दण्ड दिया जाएगा, जिसके तहत कक्षा से पंजीकरण-निरस्त तथा छात्रावास से निष्कासन किया जा सकता है। सभी छात्रों को रैगिंग-अपराध-निषेध-अधिनियम का पूर्ण-पालन करना अनिवार्य होगा।

10. 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' (उच्चतर-शैक्षणिक-संस्थानों में महिला-कर्मचारियों एवं छात्रों के लिए लैगिंक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम 2015 में प्रदत्त सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

11. छात्र-कल्याण-परिषद् के सभी सदस्यों को छात्र-कल्याण-परिषद् गठित करने हेतु निर्धारित-नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

12. प्रत्येक छात्र-छात्रा को विश्वविद्यालय परिसर के गौरव को बढ़ाने के लिए सदाचरण से रहना होगा। पान, तम्बाकू एवं अन्य नशीले-पदार्थ खाना वर्जित है। विश्वविद्यालय की सभी शैक्षणिक-प्रवृत्तियों में भाग लेना अनिवार्य है। परिसर के भवन, फर्नीचर आदि को कोई हानि पहुँचाये जाने पर छात्र का पंजीकरण निरस्त किया जायेगा तथा क्षतिपूर्ति-राशि छात्र से ली जायेगी। ऐसे छात्रों का परिसर में प्रवेश भी वर्जित होगा।

13. प्रत्येक छात्र-छात्रा को अपना पहचान-पत्र अपने पास रखना अनिवार्य होगा।

14. विश्वविद्यालय परिसर में प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित है।

प्रो. परमानन्द भारद्वाज
कुलानुशासन एवं नोडल अधिकारी (रैगिंग रोकथाम)

प्रतिलिपि : निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त पीठप्रमुख/विभागाध्यक्ष
2. छात्रावास अधिष्ठाता
3. अध्यक्ष छात्र शिकायत निवारण समिति
4. पीठप्रमुख (छात्र कल्याण)
5. निजी सचिव कुलपति/कुलसचिव
6. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से प्रेषित है कि वे इस कार्यालय सूचना को वेबसाईट पर अंकित करने का कष्ट करें।
7. कार्यालय आदेश पत्रावली

24.8.2026

प्रो. परमानन्द भारद्वाज
कुलानुशासन एवं नोडल अधिकारी (रैगिंग रोकथाम)